न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 30/2022

सोहन सिंह पुत्र स्व0 हरचंद सिंह जाति जट सिख निवासी लाधुवाला तह० व जिला श्री गंगानगर

– – प्रार्थी

बनाम

1. दर्शन सिंह पुत्र स्व0 अजायब सिंह पुत्र स्व0 सुन्दर सिंह जाति जट सिख निवासी लाधुवाला तह० व जिला श्री गंगानगर ।
2. बिकर सिंह पुत्र स्व0 इकबाल सिंह पुत्र स्व० सुन्दर सिंह जाति जट सिख निवासी लाधुवाला तह० व जिला श्री गंगानगर द्य
3. जरनैल सिंह पुत्र स्वव मेजर सिंह पुत्र स्व0 इकबाल सिंह जाति जट सिख निवासी लाधुवाला तह० व जिला श्री गंगानगर ।
4. जसविन्द्र कौर पुत्री स्व० मेजर सिंह पुत्र स्व0 इकबाल सिंह जाति जट सिख निवासी लाधुवाला तह० व जिला श्री गंगानगर ।
5. वीरपाल कौर पुत्री स्व० मेजर सिंह पुत्र स्व0 इकबाल सिंह जाति जट सिख निवासी लाधुवाला तह० व जिला श्री गंगानगर ।
6. हरजिन्द्र सिंह पुत्र स्वव मेजर सिंह पुत्र स्व0 इकबाल सिंह जाति जट सिख निवासी लाधुवाला तह० व जिला श्री गंगानगर ।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्री गंगानगर ।

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 212 राज. काश्त. अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री गुरजीत सिंह वानर – – प्रार्थी
2. अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: आदेश ::–

दिनांक :–14.11.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि उपरोक्त अनवानी वाद श्रीमान न्यायालय में पेश किया जा चुका है जिसमें अंकित तथ्यों को इस प्रार्थना पत्र के तथ्यों के रूप में पढा जावे, जिससे तथ्यो की पुनरावृति ना हो सकें। वाद पत्र में अंकित तथ्यों, दस्तावेजी साक्ष्यों एवं प्रार्थी के शपथ पत्र से तीनों बिन्दु 1. प्राईमा फैसाई केस 2. सुविधा का संतुलन, 3. अपरिमेय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के हक में साबित है, अतः ता फैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है । अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 के पूर्वज स्व० सुन्दर सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति जट सिख निवासी लाधुवाला तह0 श्री गंगानगर ने अपने जीवनकाल में चक 25 एल एन पी तह0 श्री गंगानगर के मु० न० 3 के किला न0 21 की 18 बिस्वा अर्थात 0.228 हे० भूमि को प्रार्थी व प्रतिवादीगण सं0 8

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

ता 15 के पूर्वज हरचंद सिंह पुत्र निहाल सिंह को जरिये बैयनामा रजिस्टर्ड विक्रय की गई तथा कब्जा मौके पर सौंप दिया, उपरोक्त बैयनामा उपपंजीयक श्री गंगानगर से दिनांक 18.12.67 को तस्दीक किया गया बैयनामा की फोटो प्रति शामिल है जिसमें रिकार्ड में रजिस्ट्रेशन का इन्द्राज अंकित किया हुआ है तब से लेकर अपने जीवनकाल तक वादी के पूर्वज हरचंद सिंह का कब्जा चला आया। हरचंद सिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 24.08.2007 को कब्जा काश्त के सम्बंध में तहसीलदार को प्रार्थना पत्र पेश कर तस्दीक भी प्राप्त की गई जिसका इन्द्राज दिनांक 24.09.2007 को घटनाबही में भी दर्ज किया गया, प्रार्थना पत्र व उसकी पुश्त पर दर्ज रिपोर्ट व घटनाबही की फोटो प्रति शामिल है। इस प्रकार प्रार्थी का पिता स्व० हरचंद सिंह उपरोक्त भूमि का मालिक काबिज व हकदार रहा, स्व० हरचंद सिंह को कानून की जानकारी ना होने के कारण उसके द्वारा उपरोक्त खरीदशुदा भूमि का इंतकाल अमलदरामद अपने नाम नहीं करवाया जा सका जबकि कब्जा सम्बंधी तस्दीक उसके द्वारा प्राप्त की गई थी। विक्रेता सुन्दर सिंह का देहांत हो गया तथा उपरोक्त रकबा का इंतकाल रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर क्रेता हरचंद सिंह के नाम ना हो पाने के कारण इंतकाल सं0 42 दिनांक 04.06.81 ग्राम पंचायत लाधुवाला के खाना न0 5 में सुन्दर सिंह पुत्र नारायण सिंह के नाम मु० न० 2,29,30,31 की 32 बीघा 9 बिस्वा में 56 हिस्सा अर्थात 2 बीघा 16 बिस्वा दर्ज करते हुए दस्तबरदारी आदि के आधार पर विरासत इंतकाल उपरोक्त 56 हिस्सा का सुन्दर सिंह के दो पुत्रों अजायब सिंह व इकबाल सिंह के नाम दर्ज किया गया, इंतकाल की नकल शामिल है, इस प्रकार प्रार्थी के पिता के नाम खरीदशुदा भूमि फ्रेगमेंट में होने के कारण इंतकाल ना होने से सुन्दर सिंह के उपरोक्त दो वारिसान के नाम दर्ज किया गया जबकि कब्जा एक बीघा पर प्रार्थी के पिता का ही चला आया जैसा कि तहसीलदार की तस्दीक जिसकी नकल पेश की गई है से स्पष्ट साबित है, इस प्रकार कब्जा के अभाव में सुन्दर सिंह के वारिसान के नाम कानूनन प्रार्थी के पिता के खरीदशुदा रकबा का इंतकाल नहीं किया जा सकता था मगर ग्राम पंचायत व कर्मचारीगण माल की गलती से गलत इंतकाल दर्ज किया गया, जो कि 18 बिस्वा की हद तक शुरू से शून्य होने से प्रार्थी के पिता व उसके देहांत के बाद उसके वारिसान के अधिकारों पर बेअसर है, इंतकाल की नकल शामिल है। प्रार्थी के पिता हरचंद सिंह का देहांत हो गया उसके देहांत के बाद उसकी उपरोक्त कृषि भूमि व अन्य सम्पति के सम्बंध में उसके वारिसान प्रार्थी व प्रतिवादीगण सं0 8 ता 15 के बीच पारिवारिक समझौता होकर अन्य सम्पति के साथ साथ स्व० हरचंद सिंह द्वारा खरीद की गई उपरोक्त कृषि भूमि चक 25 एल एन पी तह0 श्री गंगानगर के मु0 न0 3 वर्तमान मु० न० 2 के 18 बिस्वा प्रार्थी के कब्जा में चली आ रही है, खसरा मिलान की प्रति शामिल है जिसमें पूर्व के मुरब्बा न0 3 वर्तमान मु० न० 2 के रूप में जमाबंदी संवत 2072–2075 के खाता सं0 17 /2 में दर्ज है। सुन्दर सिह के देहांत के बाद प्रार्थी के पिता की खरीदशुदा 0.228 हे0 अर्थात 18 बिस्वा सुन्दर सिंह के दो पुत्रों अजायब सिंह व इकबाल सिंह को प्राप्त होने पर 0.114 हे0 अप्रार्थी सं0 1 दर्शन सिंह पुत्र स्व0 अजायब सिंह के नाम उपरोक्त वर्तमान जमाबंदी में दर्ज है तथा शेष 0.114 हे0 सुन्दर सिह के पुत्र इकबाल सिंह को प्राप्त होने पर व उसका देहांत होने पर उसके दो वारिसान बिकर सिंह व मेजर सिंह होने से बिकर सिंह के नाम उपरोक्त जमाबंदी में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

0.057 हे0 के रूप में व अप्रार्थी सं0 3 ता 6 के नाम 0.057 हे० के रूप में दर्ज है जबकि वास्तव में अप्रार्थीगण 1 ता 6 का ना तो प्रार्थी के पिता के द्वारा खरीद की हुई उपरोक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा रहा है तथा ना ही कानूनन कोई हक व हिस्सा बनता है, इस प्रकार प्रार्थी 0.228 हे० को अपनी खातेदारी दर्ज करवाने व राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज भूमि में से 0.114 हे0 व अप्रार्थी सं0 2 के नाम दर्ज में से 0.057 हे0 तथा अप्रार्थी सं0 3 ता 6 के नाम दर्ज में से 0.057 हे0 अनुपात से कम करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी के पिता की खरीदशुदा उपरोक्त भूमि जो फ्रेगमेंट के कारण इंतकाल अमलदरामद नहीं हो पाया, राज्य सरकार द्वारा सन 1991 में फ्रेगमेंट समाप्त करने पर व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 24 घ घ घ के प्रावधानों अन्तर्गत नियमन योग्य होने से प्रार्थी के पिता को कानूनी जानकारी ना होने से वह नियमन नहीं करवा सका, प्रार्थी चूंकि काबिज व हकदार है, अतः वह आवश्यक नियमन राशि जमा करवाने को तैयार है जो कि 10 रुपया प्रतिबीघा देय बनती है, अतः वर्तमान जमाबंदी चक 25 एल एन पी तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 17/2 में अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज भूमि में से 0.114 हे0 व अप्रार्थी सं0 2 के नाम दर्ज में से 0.057 हे0 व अप्रार्थी सं0 3 ता 6 के नाम दर्ज भूमि में से 0.057 हे0 अनुपात से कम की जाकर प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज करना व प्रार्थी को खातेदार घोषित करना आवश्यक हो गया है। सुन्दर सिंह के पुत्र अजायब सिंह का देहांत होने पर जरिये इंतकाल सं0 385/05.04.17 के उसके वारिसान बलजीत सिंह व दर्शन सिंह के नाम दर्ज हुई तथा बलजीत कौर के द्वारा दस्तबरदारी करने के कारण इंतकाल सं0 387 दिनांक 20.04.17 के अप्रार्थी सं० 1 दर्शन सिंह के नाम दर्ज हुई दोनों इंतकालो की नकलें शामिल है। अब अप्रार्थीगण 1 ता 6 उपरोक्त भूमि 0.228 हे० जो वास्तव में वादी की खातेदारी है व कब्जा काश्त में है राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर मुंतकिल करने व वादी को जबरन बेदखल करने के प्रयास में है, गत सप्ताह भी प्रयास किया गया मगर सफल नहीं हो पाए, यदि वह इसमें सफल हो गए तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, दावा का मकसद समाप्त होगा तथा मौके कभी कोई अप्रिय घटना होकर जानमाल का नुकसान हो सकता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश करके अर्ज है कि ता फैसला दावा खिलाफ अप्रार्थीयान डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जावे कि अप्रार्थीयान प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि चक 25 एल एन पी तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 17/2, मु० न० 2 की 0.228 हे0 को किसी को रहन बैय मुंतकिल करने, प्रार्थी को स्वयं अथवा अन्य किसी की सहायता से जबरन बेदखल करने से बाज व ममनु रहे, रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की तलबी विधिवत होने एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वकील प्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी गई। वकील प्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि अप्रार्थीगण 1 ता 6 उपरोक्त भूमि 0.228 हे० जो वास्तव में वादी की खातेदारी है व कब्जा काश्त में है राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर मुंतकिल करने व वादी को

जबरन बेदखल करने के प्रयास में है, यदि वह इसमें सफल हो गए तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, दावा का मकसद समाप्त होगा तथा मौके कभी कोई अप्रिय घटना होकर जानमाल का नुकसान हो सकता है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतूलन व अपरिमेय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अतः प्रकरण में अन्तरिम स्थगन को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक कन्फर्म किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तत जमाबंदी एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में पक्षकारों के मध्य वाद बहुलता को रोकने के लिए एवं सम्पत्ति की संरक्षा के लिए निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 28.03.2022 को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार रहे।

आदेश आज दिंनाक 14.11.2025 को लिखवाया जाकर उभ्यपक्ष को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(नयन गौतम) आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर